अंतिम–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 21/2021
जीसीएमएस– 2021/65
दायर दिनांक– 14.07.2021
निर्णय दिनांक– 07.09.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मिठू पुत्र श्री हजारी जाति रावत निवासी नेडलिया तहसील, पुष्कर, जिला अजमेर।		1. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरा सिंह जाति रावत, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्री सांवरलाल पुत्र श्री हीरा जाति नायक निवासी मथानिया, तहसील मसूदा जिला अजमेर। 3. श्री हीरासिंह पुत्र श्री रतना जाति रावत निवासी गौतम आश्रम के सामने, पुष्कर। 4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल राठी मुख्तयारनामा आम जरिये श्री विभूति जैन पुत्र श्री हजारीलाल जैन निवासी 113 ज्ञानविहार, बी.के. कौल, अजमेर। 5. श्रीमती कोया पत्नी सुंदर जी निवासी काजीपुरा, फॉयसागर रोड, अजमेर। 6. श्री नाथू पुत्र गणेश जाति भांबी निवासी मुख्य रोड, नेडलिया, तहसील पुष्कर। 7. श्री बीरमा पुत्र श्री गणेश जाति रावत निवासी नेडलिया डांग, तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 8. श्री कालू पुत्र श्री गणेश जाति भांबी निवासी मुख्य रोड नेडलिया, तहसील पुष्कर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–
1. श्री एन.के.जैन, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री विकास पाराशर, अधि0, प्रतिवादी सं. 4
3. श्री फिरोज मो0, अधि0, प्रतिवादीगण सं0 1,3,7
4. श्री जानीसिंह रावत, अधि0, प्रतिवादी सं. 5,6,8
5. श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, अधि0, प्रति0 सं.2
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नेडलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 378 के वर्तमान खसरा नंबर 1463/722 रकबा 1.46 हैक्ट. कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार वादी 1/5 हिस्से का सह खातेदार काश्तकार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिंटस एंड बांउडस विधिक विभाजन किया जाकर तद्नुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञाप्ति हेतु यह वाद–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी सं0 1, 3, 7 की ओर से श्री फिरोज मो0, प्रतिवादी सं0 02 की ओर से श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, प्रतिवादी सं0 4 की ओर से श्री विकास पाराशर तथा प्रतिवादी सं0 5, 6, 8 की ओर से श्री जानीसिंह रावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2 द्वारा जवाब–दावा पेश कर बहामी बंटवारे एवं मौके की वर्तमान कब्जे की स्थिति के आधार पर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज कराये जाने के आदेश का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं0 5, 6, 8 द्वारा जवाब–दावा पेश कर निवेदन किया कि इकबाली जवाब–दावा स्वीकार फरमाया जाकर वाद–डिक्री फरमाया जावें, जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 05.08.2022 को वादी वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र बाबत् खसरा नंबर 718, 719, 720, 722 की भूमि डिलीट करने एवं वाद–पत्र के शीर्षक में प्रतिवादी सं0 4, 7 लगायत 10, 12 लगायत 14, 16 लगायत 21 से 23 का नाम डिलीट करने का प्रस्तुत किया गया, जिसे सुना जाकर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 01 एवं 02 की ओर से काउंटर क्लेम अन्तर्गत धारा 8 नियम 6ए जाप्ता दीवानी अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। काउन्टर क्लेमकर्त्ता सं0 01 द्वारा प्रतिवाद–पत्र में कथन किया कि श्रीमती सुनिता के द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय–पत्र दिनांक 02.03.2021 को सहहिस्सेदारान तेजा, श्रवण, पांचू, धीरा, आपू उर्फ आफू, ब्रह्मा, मेवा, श्रीमती शांति, पुष्कर उर्फ पप्पू, सत्यनारायण, जनता, तारा, लाली, मन्ना जरिये मुख्त्यारआम हीरासिंह पुत्र श्री रतना उर्फ रतनसिंह जाति रावत से समस्त हिस्स की भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय–पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया। इस प्रकार काउन्टर कलेमकर्ती सं0 01 का काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि में से पंजीबद्व विक्रय–पत्र के अनुसार हिस्सा 11/48 रकबा 0.3346 हैक्ट0 की खातेदार घोषित किया जावें। इसी प्रकार काउंटर क्लेमकर्ता सं0 02 द्वारा प्रतिवाद–पत्र में निवेदन किया कि पंजीबद्व विक्रय–पत्र दिनांक 08.02.2021 सहखातेदार कालू पुत्र गणेश व नाथू पुत्र गणेश जाति भांबी से पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि के हक–हिस्से अनुसार क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, इस प्रकार श्री सांवरलाल को पैरा सं0 01 में वर्णित भूमि में हिस्सा 1/3 रकबा 0.4867 हैक्ट0 का खातेदार घोषित किया जावें। हमने प्रतिवादीगण द्वारा [illegible]तिवाद–पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषक की उपस्थिति में बहस सुनी गई तथा [illegible] द्वारा प्रस्तुत विक्रय–पत्र, वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

सहमति के आधार पर प्रतिवाद–पत्र को स्वीकार किया जाता है। वादी अभिभाषक द्वारा उभयपक्षकारान मय अभिभाषक के राजीनामा पेश कर प्रस्तावित ले–आउट प्लान के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। चूंकि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तावित ले–आउट प्लान/राजीनामा एवं प्रतिवादीगण सं0 01 एवं 02 के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र के आधार पर बंटवाड़े हेतु सहमति प्रदान कर दी गई, इसलिए तनकीयात कायम नहीं करते हुए राजीनामा के आधार पर ही अनुतोष पर विचारण किया गया।

हमनें उभयपक्षकारान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं उभयपक्षकारान राजीनामे से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 01 एवं 02 अपने हक हिस्से की उद्घोषणा अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर मौजा नेडलिया पटवार हल्का कानस की आराजीयात खाता संख्या 378 के खसरा नंबर 1463/722 रकबा 1.46 है0, जो कि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, की उद्घोषणा किये जाकर अपने हक–हिस्से के अनुसार प्रतिवादी सं0 01 एवं 02 को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर खाता संख्या 378 के खसरा नंबर 1463/722 रकबा 1.46 है0 में आफु पुत्री बालू हिस्सा 1/36, जनता पुत्री रतना हिस्सा 1/240, तेजा पुत्र बालू हिस्सा 1/36, तारा पुत्री रतना हिस्सा 1/240, धीरा पुत्र बालू हिस्सा 1/36, पप्पू पुत्र रतना हिस्सा 1/240, पांचू पुत्र बालू हिस्सा 1/36, ब्रह्मा पुत्री बालू हिस्सा 1/36, मन्ना पुत्री रतना हिस्सा 1/240, मेवा पुत्र हजारी हिस्सा 1/30, लाली पुत्री रतना हिस्सा 1/240, श्रवण पुत्र बालू हिस्सा 1/36, शांति पत्नी रतना हिस्सा 1/240, सत्यनारायण पुत्र रतना हिस्सा 1/240 के स्थान पर श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरासिंह जाति रावत हिस्सा 11/48 निवासी अटमेश्वर मंदिर के पास, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर तथा खातेदार कालू पुत्र गणेश हिस्सा 1/6 व नाथू पुत्र गणेश हिस्सा 1/6 के स्थान पर श्री सांवरलाल पुत्र श्री हीरा जाति नायक हिस्सा 1/3 निवासी मथानिया तहसील मसूदा जिला अजमेर को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जाता है।

इस प्रकार उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तावित राजीनामे, प्रतिवाद–पत्र एवं उपरोक्त की गई उद्घोषणा के आधार पर निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

02.9.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	श्री सांवरलाल पुत्र हीरा जाति नायक निवासी मथानिया तहसील मसूदा जिला अजमेर।	1463/722/1	0.4866	बारानी 2	नारंगी
	कुल	किता 1	0.4866	–	–
2.	श्री बीरमा पुत्र गणेश जाति रावत निवासी नेडलिया डांग तहसील पुष्कर जिला अजमेर।	1463/722/2	0.2433	बारानी 2	पीला
	कुल	किता 1	0.2433	–	–
3.	श्री मिठू पुत्र श्री हजारी जाति रावत, हिस्सा 1/5 निवासी नेडलिया तहसील पुष्कर	1463/722/3	0.7300	बारानी 2	हरा
	श्री हीरासिंह पुत्र श्री रतना जाति रावत, हिस्सा हाल 1/240 निवासी गौतम आश्रम के सामने, पुष्कर।				
	श्री ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल जाति राठी अग्रवाल, हिस्सा 1/30 निवासी मालियों के मंदिर के पास, छोटी बस्ती, पुष्कर।				
	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरासिंह जाति रावत, हिस्सा 11/48 निवासी अटमेश्वर मंदिर, छोटी बस्ती, पुष्कर।				
	श्रीमती कोया पत्नी सुंदर जी जाति रावत, हिस्सा 1/30 निवासी काजीपुरा, फॉयसागर रोड, अजमेर।				
	कुल	किता 01	0.7300	–	–

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का ... रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

07.9.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर०ए०एस)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा–डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 21 / 2021

जीसीएमएस– 2021 / 65

दायर दिनांक– 14.07.2021

निर्णय दिनांक– 07.09.2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री मिठू पुत्र श्री हजारी जाति रावत निवासी नेडलिया तहसील, पुष्कर, जिला अजमेर।		1. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरा सिंह जाति रावत, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्री सांवरलाल पुत्र श्री हीरा जाति नायक निवासी मथानिया, तहसील मसूदा जिला अजमेर। 3. श्री हीरासिंह पुत्र श्री रतना जाति रावत निवासी गौतम आश्रम के सामने, पुष्कर। 4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हीरालाल राठी मुख्तयारनामा आम जरिये श्री विभूति जैन पुत्र श्री हजारीलाल जैन निवासी 113 ज्ञानविहार, बी.के. कौल, अजमेर। 5. श्रीमती कोया पत्नी सुंदर जी निवासी काजीपुरा, फॉयसागर रोड, अजमेर। 6. श्री नाथू पुत्र गणेश जाति भांबी निवासी मुख्य रोड, नेडलिया, तहसील पुष्कर। 7. श्री बीरमा पुत्र श्री गणेश जाति रावत निवासी नेडलिया डांग, तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 8. श्री कालू पुत्र श्री गणेश जाति भांबी निवासी मुख्य रोड नेडलिया, तहसील पुष्कर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

वाद–पत्र अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति– 1. श्री एन.के.जैन, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री विकास पाराशर, अधि0, प्रतिवादी सं. 4

3. श्री [illegible] मी0, अधि0, प्रतिवादीगण सं0 1,3,7

4. [illegible] रावत, अधि0, प्रतिवादी सं. 5,6,8

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

07.9.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

5. श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, अधि0, प्रति0 सं.2
6. श्री पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

–:: डिक्री ::–

उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है एवं अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर खाता संख्या 378 के खसरा नंबर 1463/722 रकबा 1.46 है0 में आफु पुत्री बालू हिस्सा 1/36, जनता पुत्री रतना हिस्सा 1/240, तेजा पुत्र बालू हिस्सा 1/36, तारा पुत्री रतना हिस्सा 1/240, धीरा पुत्र बालू हिस्सा 1/36, पप्पू पुत्र रतना हिस्सा 1/240, पांचू पुत्र बालू हिस्सा 1/36, ब्रह्मा पुत्री बालू हिस्सा 1/36, मन्ना पुत्री रतना हिस्सा 1/240, मेवा पुत्र हजारी हिस्सा 1/30, लाली पुत्री रतना हिस्सा 1/240, श्रवण पुत्र बालू हिस्सा 1/36, शांति पत्नी रतना हिस्सा 1/240, सत्यनारायण पुत्र रतना हिस्सा 1/240 के स्थान पर श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरासिंह जाति रावत हिस्सा 11/48 निवासी अटमेश्वर मंदिर के पास, छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर तथा खातेदार कालू पुत्र गणेश हिस्सा 1/6 व नाथू पुत्र गणेश हिस्सा 1/6 के स्थान पर श्री सांवरलाल पुत्र श्री हीरा जाति नायक हिस्सा 1/3 निवासी मथानिया तहसील मसूदा जिला अजमेर को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत् रखा जाता है।

इस प्रकार उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तावित राजीनामे, प्रतिवाद–पत्र एवं उपरोक्त की गई उद्‌घोषणा के आधार पर निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

क्रम सं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा (हैक्ट0)	किस्म	नक्शे में रंग
1.	श्री सांवरलाल पुत्र हीरा जाति नायक निवासी मथानिया तहसील मसूदा जिला अजमेर।	1463/722/1	0.4866	बारानी 2	नारंगी
	कुल	किता 1	0.4866	–	–
2.	श्री बीरमा पुत्र गणेश जाति रावत निवासी नेडलिया डांग तहसील पुष्कर जिला अजमेर।	1463/722/2	0.2433	बारानी 2	पीला
	कुल	किता 1	0.2433	–	–
3.	श्री मिठू पुत्र श्री हजारी जाति रावत हिस्सा 1/5 निवासी नेडलिया तहसील [illegible]	[illegible]3/722/3	0.7300	बारानी 2	हरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
03.9.22

	पुष्कर				
	श्री हीरासिंह पुत्र श्री रतना जाति रावत, हिस्सा हाल 1/240 निवासी गौतम आश्रम के सामने, पुष्कर।				
	श्री ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल जाति राठी अग्रवाल, हिस्सा 1/30 निवासी मालियों के मंदिर के पास, छोटी बस्ती, पुष्कर।				
	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री हीरासिंह जाति रावत, हिस्सा 11/48 निवासी अटमेश्वर मंदिर, छोटी बस्ती, पुष्कर।				
	श्रीमती कोया पत्नी सुंदर जी जाति रावत, हिस्सा 1/30 निवासी काजीपुरा, फॉयसागर रोड, अजमेर।				
	कुल	किता 01	0.7300	—	—

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

07.9.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

AL RAKBA (14600.00 sq. mtr.)
1.46 HAC.

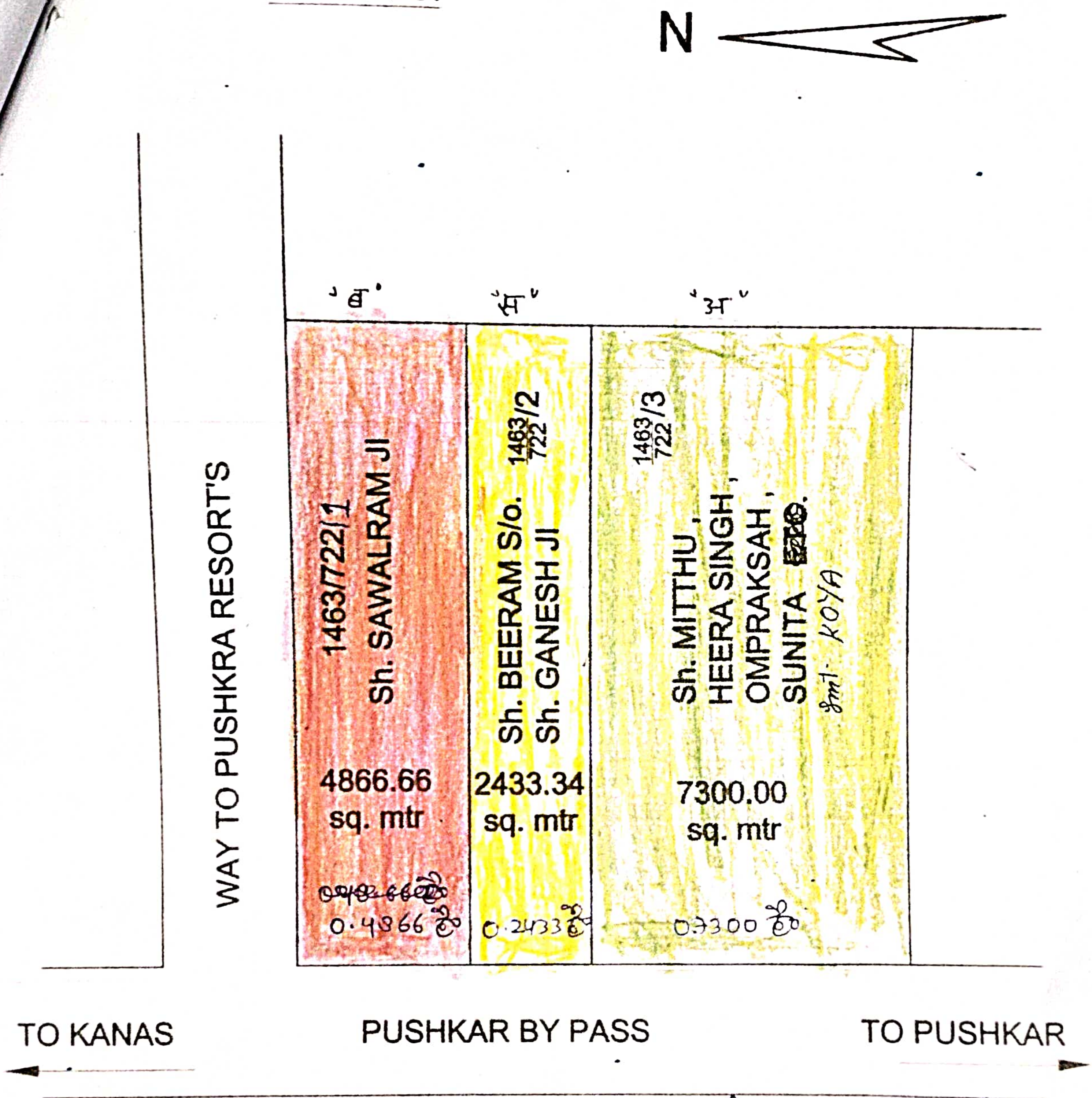

मिट्ठू कोया सांवरलाल ओमप्रकाश सुनिता
हीरासिंह बीरम

SITE PLAN SHOWING OF LAND KH. No. $\frac{1463}{722}$, SITUATED AT
VILLAGE- NEDLIYA, PUSHKAR AJMER

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.09.15 13:48:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

13.9.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)